म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी–1/1/ग/56/2620 भोपाल दिनांक 20/10/2014

आदेश

म. प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के संचालक मंडल की 123 वीं बैठक दिनांक 30.09.2014 के प्रस्ताव क्रमांक–09 में पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम–1998, के विनियम 05, 06, 11, 14 के अन्तर्गत अनुसूची–07 में निम्नानुसार संशोधन स्थापित किया जाता है :–

वर्तमान प्रावधान

अनुसूची–07

क.	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	जिस संवर्ग से पदोन्नति की जानी है उसका विवरण तथा नियत पद संख्या	पदोन्नति के लिए अर्हताऐं।	पदोन्नति समिति टीम के सदस्यों का विवरण
01	02	03	04	05
24	सहायक वर्ग–3	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	1. 05 वर्ष की सेवा 2. हायर सेकन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण 3. म0 प्र0 टायपिंग बोर्ड से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 4. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा :– 1/ Diploma from all Universities recognized by UGC 2/ Diploma from all Open Universities recognized by UGC 3/ Diploma level examination from DOEACC. 4/ Modern Office Managment Course from	1– संयुक्त संचालक (कार्मिक) 2– उप संचालक (कार्मिक) 3– उप संचालक (प्रशासन)

17.10.14

JAIN-4

			Govt.Polytechnic CoLlege. नोट :– 1– 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले सेवक को अर्हता कमांक 03 में छूट रहेगी।	

टीप :– ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता रखते है, को उक्त पद पर दो वर्ष की परीक्षण अवधि पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जावे कि इस अवधि में उन्हें मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण के साथ–साथ अर्हता कमांक 04 में उल्लेखित किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, यदि इस अवधि में कोई उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसकी परीक्षण अवधि आगे तीन वर्ष बढाई जा सकेगी किन्तु ऐसे मामले में कुल परीक्षण अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि 05 वर्ष परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है तो उसे उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

प्रतिस्थापित प्रावधान

अनुसूची–07

क.	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	जिस संवर्ग से पदोन्नति की जानी है उसका विवरण तथा नियत पद संख्या	पदोन्नति के लिए अर्हताऐं।	पदोन्नति समिति टीम के सदस्यों का विवरण
01	02	03	04	05
24	सहायक वर्ग–3	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	1. 05 वर्ष की सेवा 2. हायर सेकन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण 3. म0 प्र0 टायपिंग बोर्ड से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 4. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा :– 1/ Diploma from all Universities recognized by UGC 2/ Diploma from all Open Universities recognized by UGC 3/ Diploma level examination from DOEACC.	1– संयुक्त संचालक (कार्मिक) 2– उप संचालक (कार्मिक) 3– उप संचालक (प्रशासन)

17.10.14

			4/ Modern Office Managment Course from Govt.Polytechnic CoLlege. **नोट :–** 1– 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले सेवक को अर्हता कमांक 03 एवं 04 में छूट रहेगी।	

टीप :– ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता रखते है, को उक्त पद पर दो वर्ष की परीक्षण अवधि पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जावे कि इस अवधि में उन्हें मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण के साथ–साथ अर्हता कमांक 04 में उल्लेखित किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, यदि इस अवधि में कोई उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसकी परीक्षण अवधि आगे तीन वर्ष बढाई जा सकेगी किन्तु ऐसे मामले में कुल परीक्षण अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि 05 वर्ष परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है तो उसे उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

यह संशोधन दिनांक 30.09.2014 से प्रतिस्थापित होगा।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक / बी–1 / 1 / ग / 56 / 2621 भोपाल दिनांक 29 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

1 विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री सह–अध्यक्ष, मंडी बोर्ड भोपाल।
2 निज सचिव, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल।
3 अपर संचालक / मुख्य अभियंता / संयुक्त संचालक / अधीक्षण यंत्री / उप संचालक / कार्यपालन यंत्री, मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।
4 संयुक्त / उप संचालक / कार्यपालन यंत्री मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / सागर / जबलपुर ग्वालियर / रीवा।
5 सूचना पटल / आदेश नस्ती / बोर्ड बैठक शाखा / पटल प्रभारी (समस्त)

प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D. 10.14.
JAIN-4